

चेक लिस्ट / पावती

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 के नियोजन के लिए प्रमाण पत्र, अभिलेखों का परीक्षण
(दो प्रतियों में तैयार किया जाए)

| क्र. | विवरण | अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति की जाए | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|--|----------|------------|---------|--|--|
| 1 | पात्रता परीक्षा का रोल नंबर | | | | | | | |
| 2 | मोबाइल नं. | | | | | | | |
| 3 | प्रशिक्षण योग्यता का विवरण— बी.एड | | | | | | | |
| 4 | स्नातकोत्तर परीक्षा का विवरण स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय विश्वविद्यालय का नाम | | | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत | | |
| 5 | जन्मतिथि (कक्षा 10वीं की अंकसूची के आधार पर) प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं | | | | | | | |
| 6 | संवर्ग— अनु.जाति/जनजाति/अन्य. पिछड़ा वर्ग की स्थिति में स्थाई जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है अथवा नहीं | | | | | | | |
| 7 | क्या संवर्ग के मान से आवेदक की आयु विहित आयु सीमा के अंदर है अथवा नहीं? | | | | | | | |
| 8 | आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की स्थिति में प्रमाण पत्र में मूल निवासी म.प्र. का लिखा होना अनिवार्य है अन्यथा उसे म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य अभ्यर्थी के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। | | | | | | | |
| 9 | भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में— प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं | | | | | | | |
| 10 | निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं? निःशक्त होने की स्थिति में— अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित (दृष्टि बाधित में केवल लोविजन मान्य होगा ब्लाइंड नहीं) | | | | | | | |

टीप:- केवल जन्मतिथि, जाति, निःशक्तता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता में सुधार मूल प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरांत किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक एवं पूरा पता

परीक्षणकर्ता अधिकारी
नाम, पदनाम, संस्था का नाम

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
नाम, पदनाम, संस्था का नाम